फारम सं0-563

आदेश क्रम कार्रवाई टिप्पणी तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
	2	3
2-11-20	अभिलेख उपस्थापित। राजेन्द्र प्रसाद, मोहन कुमार, संजय कुमार तीनों के पिता-स्व0 बैजनाथ राम, ग्राम-सिरसी, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-कटकमदाग, ग्राम-डामोडीह, थाना नं0-122, खाता संख्या-65, प्लॉट संख्या-894, रकवा-0.32 डी0 भूमि शशिकांत शर्मा, पिता-महेश ठाकुर, ग्राम-बाँका, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 296/2020 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, कटकमदाग से की गई। अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि - क्रेता शशिकांत शर्मा एवं विक्रेता बदरी प्रसाद अत्यंत पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 3.46 एकड़ भूमि बचेगी। प्रस्तावित भूमि रैयती खाते की है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 219/I पर भरत कहार के नाम से जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। प्रतिवेदन के साथ जिला परिषद सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित वंशावली की छायाप्रति संलग्न किया गया है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता राजेन्द्र प्रसाद वगै0 का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2020/29688 दिनांक-03.02.2020 एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2020/18829 दिनांक-14.03.2020 और क्रेता शशिकांत	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाइ टिप्पणी त
1	2	3
	शर्मा का अंचल अधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2020/91790 दिनांक 21.03.2020 एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCBC/2020/78525 दिनांक-21.03.2020 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, कटकमदाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, ग्राम-डामोडीह, थाना नं0-122, खाता संख्या-65, प्लॉट संख्या-894, रकवा-0.32 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 13/11/20 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 12/11/20 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	